न्यायालय – श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0)

मथुरा प्रसाद तनय नाथूराम ब्राम्हण
निवासी ग्राम लहर बुजुर्ग, तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़, म0प्र0 – – निगरानीकर्ता/आवेदक

।। विरूद्ध ।। निग0 3032-I/16

भगवानदास तनय प्रागी नाविक
निवासीलहर बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 – – उत्तरवादी

निगरानी प्र0क्र0:

निगरानी/आवेदन अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता –1959 :-

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रं. 112/अपील/2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 12/08/2016 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है ।

-: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

1) यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदक को न्यायालय श्रीमान तहसीलदार पलेरा के प्रकरण क्रमांक "64/अ–19 अ–वर्ष 1993–94 के आदेश दि. 23/09/1994 के अनुसार मौजा स्थित लहर बुजुर्ग खसरा नंबर 470 रकवा 0.530 है. एवं खसरा नंबर 465/1 रकवा 0.057 है. कुल रकवा 0.597 है. प्राप्त हुआ था । न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का प्र. क्रं. 12/स्व. निग./13–14 आदेश दिनांक 06/04/15 स्टेटिंग आर्डर है जो कि आज दिनांक तक यथावत है जो कि निरस्त नहीं हुआ है

2) यहकि, तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ को विचारण न्यायालय में उत्तरवादी द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम मौजालहरबुजुर्ग में स्थित खसरा नंबर 470 रकवा 0.533 है. भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा पटवारी से मिलकर फर्जी प्रविष्टि कराकर अपने नाम पर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा ली है उसका नाम काटा जावे व उक्त विवादित भूमि खसरा नं. 470 रकवा 0.533 हे0 पर म.प्र. शासन दर्ज किया जावें ।

3) यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने हितबद्ध पक्षकार न होते हुये भी उत्तरवादी का आवेदन को स्वीकार कर अपना आलोच्य आदेश दिया है जो पारित आदेश दिनांक 12/08/2016 के विरूद्ध निगरानीकर्ता/आवेदक यह निगरानी श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हैं । ..2.

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3032–एक / 2016 जिला–टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
4.10.16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला– टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 112/अपील /2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है. 2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है तहसीलदार पलेरा जिला–टीकमगढ के समक्ष अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मौजालहर बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे कमाक 470 रकबा 0.533 हे0 पर आवेदक द्वारा पटवारी से मिलकर फर्जी प्रविष्टि कराने तथा उक्त प्रविष्टि को विलोपित करने तथा भूमि को शासकीय अंकित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया. जिसे तहसीलदार द्वारा 'निरस्त किया गया . तहसील आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो उनके द्वारा स्वीकार की गयी . अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मध्यपदेश भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तत की गयी है. 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में पुनरीक्षण आवेदन पत्रो में वर्णित तर्कों पर जोर देते हूए पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी. 4. आवेदक अभिभाषक के तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया. अवलोकन करने से मेरे समक्ष प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार था अथवा उसके कोई हित प्रभावित हूए है. क्या तहसील के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य था. तथा क्या तहसील न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन आदेश के होते हूए कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त था. तथा क्या आवेदक के नाम की प्रविष्टी फर्जी थी. उपरोक्त प्रश्नों में प्रथम प्रश्न की क्या अनावेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने का अधिकार था.तथा क्या उसके कोई हित प्रभावित हूए	वि

निगरानी प्रकरण कमांक 3032–एक/ /2016 जिला–टीकमगढ

है प्रकरण के अवलोकन से में यह पाता हॅ कि उसके द्वारा तहसील न्यायालय अथवा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो कि वह एक हितबद्ध पक्षकार है तथा उसके कोई हित किसी प्रकार से प्रभावित हूए है. तहसील न्यायायल द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करते हूए अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया था. अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी उसे स्वीकार करने हेतु जो आधार उनके द्वारा लिये गये है वे उचित नही पाता हूँ क्योंकि जब कलेक्टर द्वारा 12/स्व0निग0/2013–14 में आदेश दिनांक 6–4–2014 को स्थगन आदेश दिया गया है वह निरन्तर है तब ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नही है. तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण कमांक 64/अ–19/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 23–09–1994 द्वारा आवेदक के हित मे पटटा दिया गया था तब ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में की गयी प्रविष्टि को अवैध नही माना जा सकता है. प्रकरण की नस्थी उपलब्ध होने अथवा न होने के आधार पर कार्वाही को फर्जी नही माना जा सकता है. उपरौक्त बिन्दू पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार अथवा निर्णय किया जाना उनके आदेश से परिलक्षित नही होता है. ऐसी स्थिति मे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को न्यायोचित नही पाता हूँ. इस कारण से उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाता है. तथा तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है. तदनुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है. प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

सदस्य